फर्द अहकाम

...लय

रामसहाय बनाम राज्य सरकार

/ 20

...ा संख्या/वर्ष 52/2022 :

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
28/6/24	पत्रावली पेश हुई। इस्तगासा तहसीलदार सांगानेर से जवाब प्राप्त शामिल मिसल है। पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादी हेतु दिनांक [illegible] को पेश हो। [signature] उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)	
5/7/24	पत्रावली पेश हुई। वकील [illegible] वास्ते साक्ष्य वादी हेतु दि० 24/7/24 को पेश हो। [signature] उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)	
24/7/24	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी हाजिर। वादी साक्ष्य बन्द किया जाकर बहस वादी सुनी गई। [illegible] अभिलेख वकील वादी सुनी गई बहस [illegible] वकील वादी व पत्रावली का [illegible] दस्तावेज अवलोकन करने पर वादी का दावा खारिज [illegible] निर्णय पृथक से लिखवाकर किया जाता है। [illegible] जाकर शामिल पत्रावली किया गया [illegible] फैसला [illegible] दर्ज [illegible] दफ्तर हो। पत्रावली दाखिल [illegible] [signature] उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)	

Signature Not Verified

Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2024.09.19 16:39:18 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जयपुर–द्वितीय(सांगानेर)जयपुर

पीठासीन अधिकारी का नाम : हिम्मत सिंह, आर.ए.एस.
वाद पत्र : 42/2022
निर्णय दिनांक : 24.07.2024

1. रामसहाय पुत्र श्रवण जाति ब्राह्मण
2. शंकरलाल पुत्र कल्याण जाति ब्राह्मण
3. दुर्गालाल पुत्र कल्याण जाति ब्राह्मण
4. बद्रीप्रसाद पुत्र कल्याण जाति ब्राह्मण
5. चन्दा पुत्री कल्याण जाति ब्राह्मण
6. भंवरी पुत्री कल्याण जाति ब्राह्मण
7. मोहनी पुत्री कल्याण जाति ब्राह्मण
8. रामा देवी पुत्री कल्याण जाति ब्राह्मण निवासीगण ग्राम बालावाला तहसील सांगानेर जिला जयपुर।

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सांगानेर, पताः–तहसील कार्यालय सांगानेर जिला जयपुर।

वाद पत्र बाबत घोषणा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय

वादीगण की ओर से पेश वाद का विवरण इस प्रकार है कि वादी संख्या । स्वंय एवं वादीगण संख्या 2 लगायत 8 के पिताजी श्री कल्याण की कब्जे काश्त की कृषि भूमि नया खाता संख्या 137 जिसके खसरा नम्बर 556 रकबा 0.03 हैक्टयर, खसरा नम्बर 557 रकबा 0.13 हैक्टयर, खसरा नम्बर 558 रकबा 0.09 हैक्टयर कुल किता 03 खसरा नम्बरान् का कुल रकबा 0.25 हैक्टयर वाके ग्राम अचरावाला पटवार हल्का कपूरावाला भू. अभि. निरीक्षक क्षेत्र मुहाना तहसील सांगानेर जिला जयपुर में स्थित है, जिसमें से हिस्सा 1/2 की वर्तमान गैर खातेदारी वादी संख्या 1 के नाम व हिस्सा 1/2 की वर्तमान गैर खातेदारी वादी संख्या 2 लगायत 8 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। उक्त वर्णित भूमि पूर्व में राजकीय भूमि रही है, जिसके गत खसरा नम्बर 281 रकबा 9 बिस्वा एंव गत खसरा नम्बर 283 रकबा 11 बिस्वा थे तथा वादी संख्या 1 व वादीगण संख्या 2 लगायत 8 के पिता श्री कल्याण की अर्से कदीम से उक्त भूमि पर कब्जे के आधार पर सम्वत् 2025 से 2028 की जमाबन्दी के अनुसार जरिये नामान्तरकरण संख्या 19 द्वारा उक्त सम्पत्ति गत खसरा नम्बर 281 व 283 कुल रकबा 20 बिस्वा अर्थात एक बीघा की गैर खातेदारी वादी संख्या । रामसहाय एंव वादी संख्या 2 लगायत 8 के पिताजी श्री कल्याण के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हो गयी। इस प्रकार उक्त वर्णित भूमि की गैर खातेदारी वादी संख्या । व वादीगण संख्या 2 लगायत 8 के पिताजी श्री कल्याण के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज चली आ रही थी तथा दौराने सेट्लमेन्ट उक्त गत खसरा नम्बर 281 व 283 वर्तमान खसरा नम्बर 556, 557, 558 में [illegible] हो गये, इसके पश्चात् उक्त श्री कल्याण का स्वर्गवास होने के पश्चात् [illegible] 1/2 की खातेदारी कल्याण के स्थान पर उसके वारिसान् वादी संख्या 2 लगायत 8 [illegible] से जरिये नामान्तरकरण संख्या 242 दिनांक 22.10.2018 को दर्ज हो गयी तथा तब से ही वादीगण उक्त वर्णित भूमि एकमात्र स्वामी के रूप में काबिज काश्त है। इस प्रकार उक्त भूमि खसरा नम्बर 556, 557 व 558 को इस वाद में वादग्रस्त भूमि से सम्बोधित किया गया है। उक्त वादग्रस्त भूमि लगातार पिछले

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2024.09.19 16:39:18 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

लगभग पचास वर्षो से गैर खातेदारी स्वरूप राजस्व रिकार्ड में दर्ज चली आ रही है, जबकि राजस्व नियमों एंव प्रचलित विधि के अनुसार उक्त भूमि की खातेदारी वादीगण के नाम दर्ज हो जानी चाहिए थी, प्रचलित विधि के अनुसार लगातार दस वर्षो तक राजस्व रिकार्ड में अंकित गैर खातेदारी की भूमि बिना किसी आदेश के अपने–आप ही खातेदारी भूमि में तब्दील हो जाती है, इसके बावजूद भी वादग्रस्त भूमि आज तक गैर खातेदारी के रूप में राजस्व रिकार्ड में अंकित है। उक्त वादग्रस्त भूमि के साथ ही सम्वत् 2025 से 2028 की जमाबन्दी में दर्ज नामान्तरकरण संख्या 18 के अनुसार गत खसरा नम्बर 281 में से रकबा 1 बीघा की गैरखातेदारी अन्य खातेदार भौरीया पुत्र धन्ना जाति ब्राह्मण के नाम से दर्ज हुई थी तथा उक्त भौरीया को जरिये नामान्तरकरण संख्या 58 दिनांक 15.12.1978 के जरिये उक्त खसरा नम्बर 281 में रकबा 1 बीघा के खातेदारी अधिकार प्रदान कर दिये है, जबकि वादीगण आज तक वादग्रस्त भूमि के लिए अपने खातेदारी अधिकारों से वंचित है। उपरोक्त वर्णित वादग्रस्त कृषि भूमि के बाबत गैर खातेदारी को वादीगण अपने नाम से नामान्तरकरण खोला जाकर खातेदारी अंकित करने हेतु कई बार प्रतिवादी को निवेदन कर चुके है तथा इस सम्बन्ध में वादीगण प्रतिवादी से अन्तिम बार दिनांक 43.02.2021 को मिले तब प्रतिवादी ने राजस्व रिकार्ड में अंकित गैर खातेदारी को खातेदारी में बदलने से साफ इन्कार कर दिया तथा कहा कि आप माननीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय जयपुर के यंहा खातेदारी की घोषणा का वाद प्रस्तुत करें, इस कारण वादकारण पैदा होकर निरन्तर जारी है और वादीगण को मजबूरन माननीय न्यायालय के समक्ष उक्त वाद पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है। वादीगण उक्त वादग्रस्त भूमि के राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में गैर खातेदारी के स्थान पर अपने–अपने दर्ज हिस्सानुसार खातेदारी की घोषणा करवाये जाने के अधिकारी है।

अतः वाद वादीगण विरूद्ध प्रतिवादी नियमानुसार डिकी फरमाया जावें कि वाद पत्र के पैरा नम्बर एक में वर्णित वादग्रस्त कृषि भूमि खसरा नम्बर 556 रकबा 0.0300 हैक्टयर, खसरा नम्बर 557 रकबा 0.1300 हैक्टयर, खसरा नम्बर 558 रकबा 0.0900 हैक्टयर कुल किता 03 खसरा नम्बरान् का कुल रकबा 0.25 हैक्टयर वाके ग्राम अचरावाला पटवार हल्का कपूरावाला भू. अभि. निरीक्षक क्षेत्र मुहाना तहसील सांगानेर जिला जयपुर के राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में गैर खातेदारी के स्थान पर वादीगण के हक में खातेदारी की घोषणा की जावें तथा वादग्रस्त भूमि का अपने–अपने दर्ज हिस्सानुसार वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावें। अन्य अनुतोष जो माननीय न्यायालय वादीगण के हित में उचित समझें, वादीगण को प्रतिवादी से दिलवाये।

वादीगण अधिवक्ता की ओर से पेश वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये। वाद में प्रतिवादी तहसीलदार सांगानेर की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया जो पत्रावली में शामिल मिसल है। तहसीलदार सांगानेर ने अपने जवाब में अंकित किया कि बिंदु संख्या 1 में वर्णित कृषि भूमि ग्राम अचरावाला के ख.न.556,557,558 किता 3 रकबा 0.25 हैक्टेयर की गैर खातेदारी चंदा पुत्री कल्याण हिस्सा 1/14 जाति ब्राह्मण सा.वालावाला गैर खातेदार दुर्गालाल पुत्र कल्याण हिस्सा 1/14 बद्रीप्रसाद पुत्र कल्याण हिस्सा 1/14 भंवरी पुत्री कल्याण हिस्सा 1 / 14 मोहनी पुत्री कल्याण हिस्सा 1/14 रामसहाय पुत्र [illegible] कल्याण हिस्सा 1/14 श्रवण हिस्सा 1/2 रामादेवी पुत्री कल्[illegible] जाति ब्राह्मण सा.वालावाला गैर खातेदार के नाम दर्[illegible]। उक्त भूमि के मौके पर भूमि का कुछ भाग कृषि भूमि के रूप में एव [illegible] के रूप में उपयोग में लिया जा रहा है। बिंदु संख्या 2 में [illegible] की जमाबंदी के अनुसार जरिये नामान्तरकरण संख्या 19 द्वारा उक्त संपत्ति गत खसरा नं[illegible] 281 व 283 कुल रकबा 20 बिस्वा अथार्त एक बीघा की गैर खातेदारी वादी संख्या 1 रामसहाय एवं वादी संख्या 2 तैगायत 8 के पिताजी श्री कल्याण के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हुई। बिंदु संख्या 3 में वर्णित भूमि

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2024.09.19 16:39:18 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

खसरा नंबर 556,557,558 किता 3 रकबा 0.25 हैक्टेयर अवधि सन 1989 – 2009 के बाद से ही गैर खातेदार कल्याण पुत्र श्रवणलाल के नाम दर्ज थी। जो जरिये नामान्तरकरण संख्या 242 दिनांक 22–10–2018 के द्वारा विरासत से गैर खातेदारी बिंदु संख्या 1 में वर्णित व्यक्तियों के नाम (गैर खातेदार) दर्ज हुई। बिंदु संख्या 4 के अनुसार ग्राम अचरावाला के खसरा नंबर 556,557, 558 किता 3 रकबा 0.25 हैक्टेयर कृषि भूमि भू प्रबंध के बाद से लगभग 30 वर्षों से गैर खातेदारी के रूप में दर्ज चली आ रही है। 5. यह है कि बिंदु संख्या 5 वादीगण स्वयं सिद्ध करें। तहसील सांगानेर के समस्त ग्राम जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर के क्षेत्राधिकार में है एवं वादी द्वारा प्रस्तुत वाद में जयपुर विकारा प्राधिकरण को पक्षकार नहीं बनाया गया है जबकि नियमानुसार जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर के क्षेत्राधिकार में होने के कारण गैर खातेदारी से खातेदारी दिए जाने के सम्बन्ध में जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर की अनापत्ति होना आवश्यक होता है। उक्त भूमि बाबत जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर की अनापत्ति सम्बंधित किसी आदेश का हवाला वाद पत्र में दर्ज नहीं किया गया है। बिंदु संख्या 7 से 10 माननीय न्यायालय से सम्बंधित है।

पत्रावली में बहस वादीगण अधिवक्ता सुनी गई। दौराने बहस वादीगण अधिवक्ता ने वाद में अंकित तथ्यों को दौहराया एवं अंत में निवेदन किया कि वाद पत्र के पैरा नम्बर एक में वर्णित वादग्रस्त कृषि भूमि खसरा नम्बर 556 रकबा 0.0300 हैक्टयर, खसरा नम्बर 557 रकबा 0.1300 हैक्टयर, खसरा नम्बर 558 रकबा 0.0900 हैक्टयर कुल किता 03 खसरा नम्बरान् का कुल रकबा 0.25 हैक्टयर वाके ग्राम अचरावाला पटवार हल्का कपूरावाला भू. अभि. निरीक्षक क्षेत्र मुहाना तहसील सांगानेर जिला जयपुर के राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में गैर खातेदारी के स्थान पर वादीगण के हक में खातेदारी की घोषणा की जावें तथा वादग्रस्त भूमि का अपने–अपने दर्ज हिस्सानुसार वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावें ।

बहस वादीगण अधिवक्ता एवं पत्रावली का अवलोकन किया जाने पर वादीगण का वाद स्वीकार किया जाता हैं। तहसीलदार सांगानेर को आदेश दिये जाते है कि वादीगण/प्रार्थीगण की गैर खातेदारी से खातेदारी देने हेतु नियमानुसार परीक्षण कर प्रकरण का निस्तारण करे। तहसीलदार सांगानेर को उक्त आदेश की पालना हेतु तहरीर जारी हो एवं इस अनुरूप पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 24.07.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हिम्मत सिंह)
उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट
जयपुर–द्वितीय, (सांगानेर)
.जयपुर

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2024.09.19 16:39:18 IST
Reason: SelfAttested